राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– स्टोर/अनु.वाहन/2023–24/453 |169 दिनांक :– 05/3/2024

कार्यालय आदेश

01 मार्च 2024 से 28 फरवरी 2025 (एक वर्ष) के लिए मण्डल कार्यालय के अधीनस्थ वृत्त/खण्ड कार्यालयों के अधिकारियों के लिये टैक्सी वाहन अनुबंध पर लगाये जाने हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 व संशोधित परिपत्र F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 28.02.2019 एवं संशोधित परिपत्र F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 31.03.2021, F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 05.04.2022 एवं F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 03.10.2023 की शर्तो व मण्डल की शर्तों के अनुसार टैक्सी वाहन (कारों) की दरें मण्डल में स्वीकृत की गयी है वाहन के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वाहनों की संख्या
1	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर	1
2	उप आवासन आयुक्त–(वृत्त–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जयपुर, निदेशक परियोजना शाखा जयपुर, वृत्त–प्रथम/द्वितीय, जोधपुर, वृत्त–अलवर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर)	10
3	आवासीय अभियन्ता–(खण्ड–पी.एच.ई.–प्रथम/द्वितीय जयपुर, पी.एच.ई. जोधपुर, खण्ड–विद्युत जयपुर, गुणवत्ता नियंत्रण जोधपुर)	5
4	आवासीय अभियन्ता – (खण्ड – झुन्झुनु/भिवाड़ी/भरतपुर/नागौर/भीलवाड़ा/अजमेर/हनुमानगढ़/अलवर/बीकानेर/कोटा)	10
5	आवासीय अभियन्ता – (खण्ड–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्टम/नवम/दशम/ग्यारह/द्वादश, तेरह, आवासीय अभियंता कोचिंग हब, परियोजना शाखा, जयपुर)	13
	निम्नलिखित वृत कार्यालयों को एक पूल वाहन उनके अधीन कार्यरत खण्ड कार्यालय के आवासीय अभियंताओं के लिए। वृत–प्रथम/द्वितीय, जोधपुर, उदयपुर।	3
		कुल वाहन 42

- वाहन प्रदाता/फर्म को 1000/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा।
- वृत एवं खण्ड कार्यालय के अधिकारी जिन्हें वाहन आवंटित है, अपने स्तर पर बजट आवंटन सुनिश्चित करवाये।
- अनुबन्धित वाहन अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी 750/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि काटी जावेगी। एवं उक्त दिनांक का अनुबन्धित टैक्सी वाहन का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
- अनुबन्ध की शर्ते, मण्डल की शर्तों के अनुसार ही होगी जिस फर्म से वाहन किराये पर लिया जाये, उसकी सूचना सहायक लेखाधिकारी, (भण्डार) को भिजवाये।

क्रमशः......2

लेखाधिकारी (स्टोर)
राज. आवासन मण्डल
जयपुर

संचालित वाहनों का भुगतान वृत्त/खण्ड स्तर पर किया जायेगा बिल के साथ मूल लॉग बुक की प्रति लगाना आवश्यक है।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपियां :-

1. निजी–सचिव अध्यक्ष/निजी–सचिव आवासन आयुक्त, रा.आ.म. जयपुर।
2. उप आवासन आयुक्त वृत्त .... रा.आ.म. जयपुर।
3. आवासीय अभियन्ता खण्ड... रा.आ.म. जयपुर।
4. लेखाधिकारी (भुगतान) रा.आ.म. जयपुर

लेखाधिकारी (स्टोर)
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– स्टोर / अनु.वाहन / 2023–24 / 453/170

दिनांक :– 05/3/2024

कार्यालय आदेश

मण्डल के मुख्यालय / वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों के अधिकारियों को 01 मार्च 2024 से 28 फरवरी 2025 (एक वर्ष) के लिए अनुबन्ध पर टैक्सी वाहन लगाने हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 व संशोधित परिपत्र F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 28.02.2019 एवं संशोधित परिपत्र F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 31.03.2021, F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 05.04.2022 एवं F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 03.10.2023 की शर्तो व मण्डल की शर्तो के अनुसार टैक्सी वाहन (कारों) की दरें मण्डल में स्वीकृति की गई है।

परिपत्रानुसार वाहन के लिये अधिकृत अधिकारियों की सूची, श्रेणी एवं भुगतान दर का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	श्रेणी	अधिकारी का पद	वाहनो की संख्या	अधिकतम स्वीकृत यात्रा कि.मी.
1.	पूर्ण राज्य	वित्तीय सलाहकार निदेशक विधि अति. मुख्य नगर नियोजक सम्पदा प्रबंधक (मुख्यालय) सम्पदा प्रबंधक (भूमि) उप आवासन आयुक्त, गुणवता नि. जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड विद्युत जयपुर मुख्य सम्पदा प्रबंधक विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष आवास विकास अवसारन समिति (मुख्यालय) आवासीय अभियंता पी.एच.ई., जोधपुर सलाहकार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर	12	2500 कि.मी.*
2.	एक से अधिक जिला	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम, जयपुर अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वितीय, जोधपुर अतिरिक्त मुख्य अभियंता तृतीय, जयपुर उप आवासन आयुक्त, वृत–प्रथम, जयपुर उप आवासन आयुक्त, वृत–द्वितीय, जयपुर उप आवासन आयुक्त, वृत–तृतीय, जयपुर आवासीय अभियंता गुणवता प्रथम, जयपुर आवासीय अभियंता गुणवता द्वितीय, जयपुर उप आवासन आयुक्त वृत–प्रथम, जोधपुर उप आवासन आयुक्त वृत–द्वितीय जोधपुर वृत–प्रथम जोधपुर के लिए एक पूल वाहन उनके अधीन कार्यरत खण्ड कार्यालय के आवासीय अभियंताओं के लिए) वृत–द्वितीय जोधपुर के लिए एक पूल वाहन उनके अधीन कार्यरत खण्ड कार्यालय के आवासीय अभियंताओं के लिए) गुणवत्ता नियंत्रण, जोधपुर उप आवासन आयुक्त, अलवर उप आवासन आयुक्त, उदयपुर	36	2200 कि.मी.*

लेखाधिकारी (स्टोर)
राज. आवासन मण्डल
जयपुर

		वृत – उदयपुर के लिए एक पूल वाहन उनके अधीन कार्यरत खण्ड कार्यालय आवासीय अभियंताओं के लिए उप आवासन आयुक्त, बीकानेर उप आवासन आयुक्त, कोटा उप आवासन आयुक्त, (मुख्यालय) आवासीय अभियंता पीएचई–प्रथम, जयपुर आवासीय अभियंता पीएचई–द्वितीय, जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड–भरतपुर आवासीय अभियंता खण्ड–भीलवाडा आवासीय अभियंता खण्ड–हनुमानगढ आवासीय अभियंता खण्ड–कोटा आवासीय अभियंता खण्ड–झुन्झुनू आवासीय अभियंता खण्ड–अजमेर आवासीय अभियंता खण्ड–नागौर आवासीय अभियंता खण्ड–भिवाड़ी आवासीय अभियंता खण्ड–अलवर आवासीय अभियंता खण्ड–बीकानेर आवासीय अभियंता खण्ड–प्रथम, जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड–तृतीय, जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड–तेरह, जयपुर निजी सचिव एवं समन्वयक अधिकारी आवासीय अभियंता, कोचिंग हब		
3.	एक शहर	मुख्य अभियंता (मुख्यालय) निदेशक, परियोजना शाखा आवासीय अभियंता, परियोजना शाखा आवासीय अभियंता खण्ड–द्वितीय, जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड–चतुर्थ, जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड–पंचम, जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड–षष्टम, जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड–नवम्, जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड–दशम, जयपुर आवासीय अभियंता खण्ड–बारह, जयपुर सहायक निदेशक (जनसम्पर्क जयपुर) तकनीकी सहायक–आवासन आयुक्त, जयपुर तकनीकी सहायक–मुख्य अभियंता–द्वितीय तकनीकी सहायक, अध्यक्ष, जयपुर संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, जयपुर वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर आवासीय अभियंता रेरा, जयपुर वरिष्ठ उद्यानविज्ञ, जयपुर उप वित्तीय सलाहकार, प्रथम उप वित्तीय सलाहकार, द्वितीय वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक पूल वाहन–चार	25	1500 कि.मी. *
		योग	73	

* अनुबन्धित वाहन यदि उपरोक्त सूची अनुसार निर्धारित सीमा (1500, 2200 एवं 2500 कि.मी.) से कम चलते है तो वाहनों का भुगतान निम्नलिखित प्रकार से होगा।

लेखाधिकारी (स्टोर)
राज. आवासन मण्डल
जयपुर

1. 1500 कि.मी. की दूरी तक राशि 28900/— + GST (Extra if applicable)
2. 1500 कि.मी. से अधिक दूरी तक राशि @ 10.00 प्रति कि.मी।
3. वाहन प्रदाता/फर्म को 1000/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा।
4. अनुबन्धित वाहन अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी 750/— रूपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि काटी जावेगी। एवं उक्त दिनांक का अनुबन्धित टैक्सी वाहन का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
5. अनुबन्ध की शर्ते राज्य सरकार के आदेश की शर्तो एवं मण्डल की शर्तो के अनुसार होगी। जिस फर्म से वाहन किराये पर लिया जाये, उसकी सूचना सहायक लेखाधिकारी (भण्डार) को भिजवाये।
6. वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों से संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके अधीन संचालित वाहनों का भुगतान उनके स्तर पर ही किया जायेगा। उक्त अधिकारी इस हेतु आवश्यक बजट का आवंटन सुनिश्चित करावें। वाहन लगाने से पूर्व वाहन प्रदाता से अमानत राशि 7000/— का डी.डी./बैंकर्स चैक प्राप्त करने के पश्चात् ही अनुबन्ध पर वाहन लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
7. वाहन प्रदाता से भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ मूल लॉग बुक की प्रति संलग्न प्राप्त करना आवश्यक है।
8. मुख्यालय स्तर पर जिन अधिकारियों को टैक्सी/वाहन अनुबन्ध पर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में उस दिन वाहन चालक द्वारा सहायक लेखाधिकारी (भण्डार) को रिपोर्ट करना होगा। जिससे वाहन को पूल में उपयोग किया जा सके। अन्यथा उस दिन अनुपस्थिति मानते हुये पेनल्टी रूपये 750/— प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी। एवं उक्त दिनांक का अनुबन्धित टैक्सी वाहन का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
9. सहायक लेखाधिकारी (भण्डार प्रकोष्ठ) के अधीन लगाये गये पूल वाहनों के वाहन चालक प्रतिदिन भण्डार प्रकोष्ठ में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। अन्यथा अनुपस्थिति मानते हुये रूपये 750/— प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी। एवं उक्त दिनांक का अनुबन्धित टैक्सी वाहन का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
10. अनुबन्धित वाहन कार्य दिवस में प्रातः 9.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक कार्य करेगा। 8.00 बजे पश्चात् भी आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी की सुविधा अनुसार कार्य करेगा।
11. आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी को राजपत्रित अवकाश में भी वाहन प्रातः 9.00 बजे से पूर्व तथा सायं 8.00 बजे पश्चात् वाहन उपलब्ध कराना होगा। उपलब्ध नहीं कराया गया तो उस दिवस को गैर हाजरी मानकर पेनल्टी रूपये 750/— प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी। एवं उस दिनांक का अनुबन्धित टैक्सी वाहन का भुगतान भी देय नहीं होगा।
12. अनुबन्धित वाहन जयपुर जिले से बाहर जाने पर (रात्रि मे रूकने पर) रूपये 300/—प्रति दिन अतिरिक्त देय होगा।
13. अनुबन्धित वाहन की मरम्मत राजपत्रित अवकाश मे करानी होगी। जिसे पहले स्वीकृति लेकर ही उपभोग किया जावेगा। अनुबन्धित वाहन के मरम्मत पर रहने अथवा अन्य कारण से गैर हाजिर रहने पर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
14. किसी प्रकार की टूट—फूट, दुर्घटना या चालान होने पर राजस्थान आवासन मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। इन सब की जवाब देही वाहन प्रदाता की होगी।
15. डीजल—पैट्रोल ऑयल मरम्मत एवं चालक आदि का व्यय स्वयं वाहन प्रदाता को वहन करना पड़ेगा।
16. अनुबन्धित वाहन पर एक ही चालक कार्यरत रहेगा बार—बार चालक नहीं बदला जायेगा वाहन चालक अनुशासित, नशा नहीं करने वाला एवं विनम्र होना चाहिए। यदि चालक का व्यवहार सन्तोष जनक नहीं हुआ तो वाहन प्रदाता को चालक तीन दिन के अन्दर बदलना होगा। अन्यथा वाहन अनुबन्ध समय से पूर्व हटा दिया जायेगा। जिसका अनुबन्धित प्रदाता को कोई हर्जाना (Claim) नहीं दिया जावेगा।
17. निविदादाता को भुगतान लेने हेतु सभी वाहनों का बिल प्रस्तुत करना होगा, बिल उपयोगकर्ता अधिकारी से प्रमाणित करा कर मूल लॉग बुक एवं एक छायाप्रति के साथ पेश करना होगा। बिल प्रस्तुत करने के 10 दिवस में वाहन किराये का भुगतान कर दिया जावेगा।
18. अनुबन्धित वाहन को एक माह मे चार अवकाश (राजपत्रित अवकाश सहित) देय होंगे। इससे अधिक अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी 750/— रूपये प्रतिदिन के हिसाब से काटे जायेंगे। एवं उस दिनांक का अनुबन्धित टैक्सी वाहन का भुगतान भी देय नहीं होगा।

लेखाधिकारी (स्टोर)
राज. आवासन मण्डल
जयपुर

19. प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से पूर्व वाहन की टंकी में ईंधन फुल करवाकर वाहन को भिजवाना होगा।
20. वाहन में लगा मीटर सील किया होना आवश्यक है जो बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति बिना नहीं खोली जायेगी। यदि ऐसा पाया गया तो भुगतान संभव नहीं होगा।
21. राजस्थान आवासन मण्डल व राज्य सरकार के आदेश कमांक F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 व संशोधित परिपत्र F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 28.02.2019, संशोधित परिपत्र F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 31.03.2021, F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 05.04.2022 एवं F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 03.10.2023 की शर्तों एवं नियमों के अलावा कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
22. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये कभी भी अनुबन्धित वाहन हटा सकता है जितने दिन वाहन चला उतने दिन का भुगतान किया जायेगा।
23. वाहन चालक को अपना प्रोफेसनल ड्राइविंग लाईसेंस प्रस्तुत करना होगा तथा वर्दी पहनकर आनी होगी।
24. संबंधित अधिकारी द्वारा अवकाश लेने पर, वाहन चालक द्वारा सहायक लेखाधिकारी (भण्डार) को रिपोर्ट करना होगा तथा उस वाहन को पूल में उपयोग किया जा सकेगा।
25. टी. डी. एस. का भुगतान निविदादाता द्वारा ही किया जाएगा।
26. वाहन टैक्सी परमिट वाला होना आवश्यक है तथा टैक्सी वाहन वर्ष 2018 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
27. वाहन राज्य से बाहर जाने पर पथकर मण्डल द्वारा वहन किया जाएगा।
28. अन्य निविदा के साथ पूर्व में जमा धरोहर राशि/प्रतिभूति की राशि इस निविदा के लिए मान्य नहीं होगी।
29. वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने पर या चालान आदि होने पर वाहन प्रदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
30. डीजल/पेट्रोल/ऑयल की दरों में वृद्धि/कमी होती है तो निविदादाता द्वारा दी गई दरों में बाद में परिवर्तन नहीं होगा।
31. वाहन स्वामी (वाहन प्रदाता) को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
32. वाहन का बीमा अनुबंध अवधि में होना आवश्यक है।
33. वाहन प्रदाता अनुबन्धित वाहन को अन्य एजेन्सीज (OLA/UBER) आदि में प्रयोग में नहीं लेगा।
34. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर वाहनों की दरों में किया गया संशोधन उसी प्रकार से तुरन्त प्रभाव लागू माना जावेगा।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

प्रतिलिपीया :-

1. निजी सचिव अध्यक्ष/निजी सचिव आवासन आयुक्त, रा.आ.म. जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता...../अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता....../उप आवासन आयुक्त....../आवासीय अभियन्ता खण्ड .... रा.आ.म.जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/अति. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/उप सचिव/विशेषाधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक (मु.)/सम्पदा प्रबन्धक (भूमि)/सहायक निदेशक जनसम्पर्क/तकनीकी सहायक-अध्यक्ष,/तकनीकी सहायक-आवासन आयुक्त/सहायक लेखाधिकारी भण्डार प्रकोष्ठ/सलाहकार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
4. मास्टर पत्रावली।

लेखाधिकारी (स्टोर)
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– स्टोर / अनु. वाहन / 2023–24 / 453 / 171 दिनांक :– 05/3/2024

कार्यालय आदेश

मण्डल (मुख्यालय) में पदस्थापित अधिकारियों के अधीन वाहन संचालन के लिये दिनांक 01 मार्च 2024 से 28 फरवरी 2025 (एक वर्ष) के लिये अनुबंधित टैक्सी वाहन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 व संशोधित परिपत्र F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 28.02.2019 एवं संशोधित परिपत्र F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 31.03.2021, F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 05.04.2022 एवं F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 03.10.2023, एवं मण्डल की शर्तो के अधीन निम्न प्रकार से आवंटित किये जाते हैः–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	वाहन प्रदाता का नाम	वाहन संख्या
1	श्री मनोज गुप्ता	मुख्य अभियंता (मु.)	श्री बलवीर सिंह	RJ14-TF 4809
2	श्री रोहिताश्व सिंह यादव	वित्तीय सलाहकार	श्री राधेश्याम	RJ02 TA 3511
3	श्रीमती दीपाली भगोतिया	सम्पदा प्रबन्धक (मु0)	श्री लोकेश कुमार मीणा	RJ14 TE 9316
4	डा. गरिमा शर्मा	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक (भूमि)	श्री भागचन्द चौधरी	RJ14 TE 4208
5	श्री अनिल माथुर	अति. मुख्य नगर नियोजक	श्री पियुष कुमार	RJ14 TE 9961
6	श्री गिरधारी लाल जाखड़	निदेशक विधि	श्री राजेश	RJ14 TD 1513
7	श्री युवराज श्रीमाल	संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)	श्री बाबुलाल सेन	RJ14 TF 6169
8	श्री बी.एल. स्वामी	तकनीकी सहा. आवासन आयुक्त	श्री रामदेव	RJ20 TA 3556
9	श्री के.सी. ढाका	अति. मुख्य अभि. (प्रथम)	श्री योगेश कुमार मीणा	RJ14 TE 3091
10	श्री प्रतीक श्रीवास्तव	उप आवा. आयुक्त गुणवत्ता नियंत्रण	श्री राजेश गुर्जर	RJ14 TF 0245
11	श्री शशीकांत शर्मा	आवा. अभि. गुणवत्ता नियंत्रण–द्वितीय	श्री राजु लाल मीणा	RJ14 TD 2598
12	श्री रोहित सिंह	आवा. अभि. गुणवत्ता नियंत्रण–प्रथम	श्री श्योजी राम चौधरी	RJ14 TF 0523
13	श्री उमेश गोयल	आवासीय अभियंता–रेरा	श्री रामफूल मीणा	RJ14 TE 5763
14	श्री ओम प्रकाश बुटोलिया	उप वित्तीय सलाहकार (बोर्ड अधिकारी)	श्रीमती दीपा शर्मा	RJ14 TE 3309
15	श्री अलकेश कुमार पाटोदिया	उप आवा. आयुक्त एवं तक. सहा. मुख्य अभियंता–द्वितीय	श्री शंकर सेन	RJ14 TE 7789
16	प्रियंका राठौड़	विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	श्री नन्द किशोर सेन	RJ14 TF 4255
17	श्री अनुज माथुर	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	श्री पवन कुमार मीणा	RJ14 TE 5711
18	श्री भारत भूषण जैन	निजी सचिव एवं समन्वयक अधिकारी	श्री देवराज	RJ26 TA 1728
19	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक	श्री सुनील कुमार मीणा	RJ14 TE 9347
20	श्री सुरेश चन्द खण्डेलवाल	वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक	श्री गोपाल लाल सैनी	RJ14 TE 3891
21	श्री पोद्दार प्रकाश शार्दुल	वरिष्ठ नगर नियोजक	श्री लाला राम शर्मा	RJ14 TF 3824
22	श्री हंसराज दुपग्गा	तकनीकी सहायक, अध्यक्ष	श्री अक्षय चौधरी	RJ14 TE 5492
23	श्री दिलीप कुमार शर्मा	वरिष्ठ उद्यानविज्ञ	श्री हंसराज गुर्जर	RJ14 TF 2607
24	पूल – प्रथम	आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ	श्री पुरूषोत्तम सोनी	RJ14 TE 8663
25	पूल – द्वितीय	सचिव प्रकोष्ठ	श्री सुरज कुमार मीणा	RJ14 TE 0171
26	पूल – तृतीय	सहा. लेखा. स्टोर के अधीन	श्री भूपेन्द्र सिंह गुर्जर	RJ14 TE 1222
27	पूल – चतुर्थ	सहा. लेखा. स्टोर के अधीन	श्री आशा राम चौधरी	RJ14 TE 8489

लेखाधिकारी (स्टोर)
राज. आवासन मण्डल
जयपुर

क्रमशः.......2

अनुबंध पर टैक्सी किराये पर लेने के लिये वाहन प्रदाताओं को भुगतान की दरें दिनांक 01.03.2024 से 28.02.2025 तक निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:–

1. 1500 कि.मी. की दूरी तक न्यूनतम मासिक किराया राशि 28900/– + GST (Extra if applicable)।
2. 1500 कि.मी. से अधिक दूरी तक राशि रू. @ 10.00 प्रति कि.मी।
3. किसी भी अधिकारी के स्थानान्तरण/सेवानिवृति होने पर उनके अधीन लगा टैक्सी वाहन स्वतः ही मुख्यालय (स्टोर) के अधीन माना जावेगा। उनके स्थान पर अन्य अधिकारी के पदस्थापित होने की स्थिति में उस वाहन को उनके अधीन लगा दिया जावेगा।
4. वाहन प्रदाता/फर्म को 1000/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा।
5. वाहन अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी 750/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि काटी जावेगी। एवं उस दिनांक का अनुबन्धित टैक्सी वाहन का भुगतान भी देय नहीं होगा।
6. वाहन प्रदाता से भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ मूल लॉग बुक की प्रति संलग्न प्राप्त करना आवश्यक है। शेष शर्तें मण्डल के नियमानुसार रहेगी।
7. मुख्यालय स्तर पर जिन अधिकारियों को टैक्सी/वाहन अनुबन्ध पर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में वाहन चालक द्वारा लेखाधिकारी (भण्डार) को रिपोर्ट करना होगा। जिससे वाहन को पूल में उपयोग किया जा सके। अन्यथा उस दिन अनुपस्थिति मानते हुये रूपये पेनल्टी 750/– प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी। एवं उस दिनांक का अनुबन्धित टैक्सी वाहन का भुगतान भी देय नहीं होगा।
8. सहायक लेखाधिकारी (भण्डार प्रकोष्ठ) के अधीन लगाये गये पूल वाहनों के वाहन चालक प्रतिदिन भण्डार प्रकोष्ठ में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। अन्यथा अनुपस्थिति मानते हुये रूपये पेनल्टी 750/– प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी। एवं उस दिनांक का भुगतान भी देय नहीं होगा।
9. वाहन प्रदाता अनुबन्धित वाहन को अन्य एजेन्सीज (OLA/UBER) आदि में प्रयोग में नहीं लेगा।

नोट : निर्धारित श्रेणी से अधिक वाहन चलने पर श्रीमान् आवासन आयुक्त महोदय की स्वीकृति के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

लेखाधिकारी (स्टोर)
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–</u>

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव मुख्य अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार एवं मु. लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. लेखाधिकारी (भुगतान)।
6. संबंधित अधिकारी..
7. संबंधित वाहन प्रदाता...
8. नोटिस बोर्ड।
9. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी (स्टोर)
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर